

**झारखण्ड सरकार**  
**श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग**  
**अभिसूचना**

एसओओ \_\_\_\_\_

दिनांक \_\_\_\_\_

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (1948 या 11) की धारा-3 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड राज्यपाल यह घोषणा करते हैं कि एतद् संबंधी संलग्न अनुसूची-1 में उल्लिखित अनुसूचित नियोजनों में नियोजित कर्मचारियों के प्रत्येक मूल्य सूचकांक तालिका के स्तम्भ-2 में प्रदर्शित मासों के लिए उक्त अधिनियम की धारा-2 के खण्ड (डी) के प्रयोजन के निमित्त तालिका के स्तम्भ-3 में यथा प्रदर्शित रूप में होंगे।

क्र. सं.	माह एवं वर्ष	अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2016 = 100)
	2	3
1.	जनवरी, 2024	138.9
2.	फरवरी, 2024	139.2
3.	मार्च, 2024	138.9
4.	अप्रैल, 2024	139.4
5.	मई, 2024	139.9
6.	जून, 2024	141.4
7.	कुल	837.7
8.	6 माह का औसत	$837.7 \div 6 = 139.616$
9.	Conversion from new series (2016 = 100) to Old series (2001 = 100)	$139.616 \times 2.88$ $= 402.09$ या 402
10.	जनवरी, 2023 से जून, 2023 की अवधि के आधार पर पुनरीक्षित/निर्धारित औसत सूचकांक सूचकांक में वृद्धि	388 बिन्दु $402 - 388 = 14$ बिन्दु
11.	प्रतिशत वृद्धि = $\frac{14 \times 100}{388}$	4.14 %

2. परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की दरें अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के उस औसत बिन्दु पर आधारित होंगी, जिस पर संलग्न अनुसूचित नियोजनों में परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की दरें निर्धारित/पुनरीक्षित की गई हैं। उल्लेखनीय है कि जनवरी, 2023 से जून, 2023 की अवधि के औसत सूचकांक के आधार पर य झारखण्ड न्यूनतम मजदूरी परामर्शदाता पंचद के बैठक के आधार पर पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी की मूल दरें दिनांक-11.03.2024 से प्रभावी हैं।

  
\*

3. माह जुलाई, 2023 से दिसम्बर, 2023 की अवधि में अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 14 बिन्दु की बढ़ोतरी हुई थी परन्तु दिनांक-11.03.2024 से पुनरीक्षित मूल मजदूरी लागू किए जाने के कारण परिवर्तनशील महँगाई भत्ता घोषित नहीं करने का निर्णय लिया गया था।

4. सूचकांक में क्या स्थिति वृद्धि अथवा ह्रास के अनुसार न्यूनतम मजदूरी की दरों में उपर्युक्त अनुसूची के स्तम्भ-3 में अंकित दर से वृद्धि या कमी की जाएगी और उसे परिवर्तनशील महँगाई भत्ता का अंश समझा जाएगा। परन्तु यदि सूचकांक उस बिन्दु से कम हो जाय जिस पर परिवर्तनशील महँगाई भत्ता की दर निर्धारित/पुनरीक्षित की गई है, तो उक्त अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित परिवर्तनशील महँगाई भत्ते की दरों में कमी नहीं होगी।

5. परिवर्तनशील महँगाई भत्ता का भुगतान हेतु दर, जो जनवरी से जून, 2024 (वर्ष-2024 का प्रथम अर्द्ध) के अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत पर आधारित है, दिनांक-01.10.2024 की तिथि से देय होगा।

संख्या-2/एमाडब्ल्यू-2071/2010 (भाग-3), अति. 1846 रांची, दिनांक-14/10/24

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

  
अवर सचिव,

अमायुक्त कार्यालय, झारखण्ड।

### अधिसूचना

एस0300 दिनांक \_\_\_\_\_ का अंग्रेजी भाषा में निम्नांकित अनुवाद झारखण्ड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड-3 के अधीन अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

  
अवर सचिव,

अमायुक्त कार्यालय, झारखण्ड।

## NOTIFICATION

S.O.....dated...../In exercise of the powers conferred by section-3 of the Minimum Wages Act, 1948 (XI of 1948), the Governor of Jharkhand is pleased to declare that the consumer price index number applicable to the employees employed in schedule employments mentioned in the attached Schedule-1, for the months shown in column-2 of the schedule mentioned below, shall be as shown in column-3 of the said schedule for the purpose of clause (d) of section-2 of the said Act.

S.N.	Month & Year	All India Consumer Price Index No. (2016 = 100)
1	2	3
1	January, 2024	138.9
2	February, 2024	139.2
3	March, 2024	138.9
4	April, 2024	139.4
5	May, 2024	139.9
6	June, 2024	141.4
7	<b>Total</b>	<b>837.7</b>
8	Average	$837.7 \div 6 = 139.616$
9	Conversion from new series (2016 = 100) to Old series (2001 = 100)	OR, $139.616 \times 2.88 = 402.09$ <b>402</b>
10	Revised/determined average index based on the period January, 2023 to June, 2023	<b>386 Point</b>
	Increase in CPI	$402 - 386 = 16$ Point
11	Percentage Increase = $\frac{16 \times 100}{386}$	<b>4.14 % increase</b>

- The rates of variable dearness allowance will be based on the average of All India Consumer Price Index on which the minimum rates of wages has been fixed/revised in the schedule employments. It is noteworthy that on the basis of the average index for the period from January, 2023 to June, 2023 and on the basis of the meeting of Jharkhand Minimum Wage Advisory Board, the revised basic rates of minimum wage are effective from 11.03.2024.
- All India Consumer Price Index for the period of July 2023 to December 2023, there was an increase of 14 points but due to the implementation of revised basic minimum wages from dated 11.03.2024, it was decided not to declare Variable Dearness Allowance for the said period.



4. There will be increase or decrease in rates of wages shown in column-3 of schedule with rise or fall as the case may be in aforesaid Index of the schedule employments and it will be deemed as variable dearness allowance component. But even if index falls below the points on which minimum rates of wages had been fixed/revised, there will not be any reduction in the minimum wages fixed/revised.
5. The payment of variable dearness allowance are on the basis of average of All India Consumer Price Index of January-June, 2024, which is 1<sup>st</sup> half of 2024, will be payable from 01.10.2024.

No-2/MW-2071/2010(Bhag-3) L&T- 1846 Ranchi, Dated 14/10/24

By Order of the Governor of Jharkhand,

  
Under Secretary,  
Labour Commissioner Office, Jharkhand.

## अनुसूची - 1

दिनांक 11 अक्टूबर 2023 को झारखण्ड न्यूनतम मजदूरी परामर्शदातृ पथद के बैठक में हुए सहमति के आलोक में न्यूनतम मजदूरी पुनरीक्षण हेतु निर्धारित 90 अनुसूचित नियोजनों (12 खण्ड दर नियोजन सहित) का वर्गीकरण एवं झारखण्ड राज्य के क्षेत्रों का वर्गीकरण निम्नवत है :-

### 90 अनुसूचित नियोजन (खण्ड दर नियोजन सहित) का वर्गीकरण

क्र० सं०	श्रेणी "क" (कुल 49 नियोजन)	क्र० सं०	श्रेणी "ख" (कुल 41 नियोजन)
1.	पकाई हुई खाद्य वस्तु बेचने वाली दुकानों में नियोजन	1.	खण्ड सार्व उद्योग में नियोजन
2.	पेट्रोल एवं डीजल पम्प में नियोजन	2.	छाटी-सामुदायिक में नियोजन
3.	इस अनुसूची में किसी भी अन्य प्रविष्टि के अंतर्गत आने वाले के जलाया दुकानों या प्रतिष्ठानों या उद्योगों में नियोजन	3.	अवस्था कार्य(सुधारों को छोड़कर झारखण्ड एवं प्रतिष्ठान) में नियोजन
4.	होटल, भोजन-गृहों एवं रेस्तराओं में नियोजन	4.	हैडलूम उद्योग में नियोजन
5.	सिनेमा उद्योग में नियोजन	5.	को-आपरेटिव सेक्टर में नियोजन
6.	मेस, कैंटीन एवं क्लब में नियोजन	6.	होमिओपैथी मिगल में नियोजन
7.	विद्युत प्रोत्साहन कर्मचारी (रेल्वे की कर्त) अधिन 1978 से आच्छादित नियोजन	7.	उच्च वस्त्र एवं कर्नोत्तर में नियोजन
8.	भूमि निर्माण एवं शिफ्टे कार्य में नियोजन	8.	ऊनी कालीन बनाने वाले या काल कुम्भे वाले किसी प्रतिष्ठान में नियोजन
9.	राज्य के निर्माण या अनुसंधान अथवा निर्माणकार्य में नियोजन	9.	अधरा एवं पॉलीटेकनीक में नियोजन
10.	किसी अस्पताल नर्सिंग होम एवं क्लिनिक में नियोजन	10.	किलाई उद्योग में नियोजन
11.	किसी विश्व विद्यालयों, सैद्धांतिक उच्च अथवा सांस्कृतिक संस्थान में नियोजन	11.	बिजली एवं अन्य प्रकार के बाब तथा फ्लोप्लेस लघु निर्माण उद्योग में नियोजन
12.	प्राइवेट सिविलियरी एजेंसी में नियोजन	12.	सिल्वरसाजी उद्योग में नियोजन
13.	प्राइवेट तकनीकी संस्थान, कॉलेज इंस्टिट्यूट, निजी स्कूल आदि (गैर शिक्षण) में नियोजन	13.	रफती कार्टोर्ड, मिलबोर्ड, कार्बोनेट बोर्ड, एल्यूबोर्ड का ग्लास पेपर बोर्ड निर्माण में नियोजन
14.	कंप्यूटर शिक्षा संस्थान आदि में नियोजन	14.	प्लाइवूड उद्योग में नियोजन
15.	चावल मिली, जूटा मिली, दाल मिली, तेल मिली में नियोजन	15.	बिस्कुट उद्योग में नियोजन
16.	लज जापरन, छत निर्माण एवं लोहा से एगल बनाने तथा इनगोट में नियोजन	16.	मुद्रणालय में नियोजन
17.	जमीन के नीचे काटर सफाई पाइप लाइन एवं संयुक्त बिछाने में नियोजन	17.	पीट्रीज में नियोजन
18.	वर्टेड/कॉल्टेडकाउन्स/ऑडिटर/टैक्स कन्सल्टेन्सी एवं ऑडिटेक में नियोजन	18.	बेकरीज एवं कान्फेक्शन में नियोजन
19.	मोबाइल टावर इत्यादि के संचालन की कार्य में नियोजन	19.	लुग्नी एवं बोलिंग में नियोजन

20	पश्चिम मोटर ट्रांसपोर्ट में नियोजन	20.	आइसक्रीम एवं कोल्ड ड्रिंक्स में नियोजन
21	अल्पसंख्यक उद्योग में नियोजन	21.	प्राइवेट फॅरिज एण्ड एनालॉजी में नियोजन
22	कौनिकल एण्ड फार्मोस्युटिकल उद्योग में नियोजन	22.	पिजारीज में नियोजन
23	साबुन निर्माण उद्योग में नियोजन	23.	पहाल आदि का रोज सफाया आदि में नियोजन
24	सीमेंट प्री-स्टेस्ट प्रोडक्शन उद्योग में नियोजन	24.	सबरी एवं माल वाहन वाहन चलाने वाले ड्राइवर/ खतापी/ परिवहनक आदि नियोजन
25	एससेस्ट्स सीमेंट कारखाना में नियोजन	25.	मोटर गैरज एण्ड क्वेश शॉप में नियोजन
26	ग्लास शीट निर्माण में नियोजन	26.	धार्मिक एवं सामाजिक संस्थान में नियोजन
27	बन्दुक कारखाने में नियोजन	27.	कृषि नियोजन
28	पेपर उद्योग में नियोजन	28.	बुझाने और रक्ताई का कार्य में नियोजन
29	रिफ़कटरीज, फायर ब्रिक्स एवं सिविलियस उद्योग में नियोजन	29.	शिदुर एवं रंग बनाने का उद्योग में नियोजन
30	प्लास्टिक उद्योग में नियोजन	30.	कॉयू पत्रा तोड़ने एवं तैयार करने में नियोजन
31	शीता उद्योग (ग्लास शीट एवं छोड़कर) में नियोजन	31.	लावने-उतारने में नियोजन
32	डलाई (काउण्ट्री उद्योग) में नियोजन	32.	भिड़ी फाटने के कार्य में नियोजन
33	फोस ब्रिडेट उद्योग में नियोजन	33.	ईट निर्माण में नियोजन
34	मिनरल वाइडिंग में नियोजन	34.	बोड़ी निर्माण में नियोजन
35	ग्राइडिंग एण्ड आरिंग आक मिनरल और में नियोजन	35.	पावरलूम इण्डस्ट्रीज में नियोजन
36	हाई चोक भट्टा में नियोजन	36.	वन का संभालन तथा लकड़ी काटने के कार्य में नियोजन
37	चर्म शोभालय और चर्म विनिर्माणशालाओं में नियोजन	37.	इयर काटिंग सेलुल में नियोजन
38	चर्म-उत्पु निर्माण में नियोजन	38.	असली रेसम, कृत्रिम रेसम तथा स्टेपुल धागा के निर्माण सहित सिल्क उद्योग में नियोजन
39	स्वर एवं स्वर कायचरुध उद्योग (जिसमें टावर एवं ट्यूब का निर्माण भी सम्मिलित है) में नियोजन	39.	फलर तोड़ने एवं पीसने में नियोजन
40	सीमेंट से बहून पाईप, बिजली का खम्भा एवं रेलवे स्लीपर बनाने के उद्योग में नियोजन	40.	सूय भण्डान में नियोजन
41	डिस्टीलरी में नियोजन	41.	घरेलू नौकर का नियोजन
42	इलेक्ट्रिसिटी जेनरेटर एण्ड सप्लाय में नियोजन		
43	जोटी नौबाहुत इजीनियरिंग शॉप में नियोजन		
44	इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में नियोजन		
45	लघु अभियंत्रण उद्योग (स्वशासित अभियंत्रण दुकानों की छोड़कर) में नियोजन		
46	मोटर बीदी विट्रिडन में नियोजन		
47	स्वर्ण एवं रजत आभूषण तथा कलापूर्ण सामग्रियों के निर्माण में नियोजन		
48	कोल्ड स्टोरेज में नियोजन		
49	आरक्षण्ड राज्य में सरकारी कार्यालयों /उपकारों /बोर्ड / स्थानीय निकायों में कार्यरत कर्मचारियों के नियोजन		

R

## झारखण्ड राज्य के जिलों/क्षेत्रों का वर्गीकरण

क्र.सं०	श्रेणी	आवृत्त क्षेत्र
1	2	3
1	A	राँची नगर निगम, चास नगर निगम, धनबाद नगर निगम, देवघर नगर निगम, हजारीबाग नगर निगम एवं जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र, मानगो नगर निगम, जुगसलाई नगर परिषद क्षेत्र एवं आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र।
2	B	"A" श्रेणी को छोड़कर अन्य सभी जिलों के नगरनिकास क्षेत्र (नगरनिगम, नगर परिषद व नगर पंचायत)
3	C	राज्य के अन्य क्षेत्र

"A" श्रेणी के क्षेत्र (राँची नगर निगम, चास नगर निगम, धनबाद नगर निगम, देवघर नगर निगम, हजारीबाग नगर निगम एवं जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र, मानगो नगर निगम, जुगसलाई नगर परिषद क्षेत्र एवं आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र) हेतु दिनांक-01.10.2024 से निर्धारित न्यूनतम मजदूरी (V.D.A. सहित) इस प्रकार है-

### दैनिक दरें

क्र. सं.	कोटि	"क" श्रेणी के नियोजन हेतु दैनिक दर			"ख" श्रेणी के नियोजन हेतु दैनिक दर		
		दिनांक-11.03.2024 से निर्धारित मूल मजदूरी	परिवर्तनीय मॉडर्नई भत्ता (दिनांक-01.10.2024 से देय)	कुल	दिनांक-11.03.2024 से निर्धारित मूल मजदूरी	परिवर्तनीय मॉडर्नई भत्ता (दिनांक-01.10.2024 से देय)	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अकुशल	458	19	487	446	18	464
2	अर्द्धकुशल	491	20	511	468	19	487
3	कुशल	647	27	674	616	26	642
4	अतिकुशल	746	31	777	711	29	740

### मासिक दरें

क्र. सं.	कोटि	"क" श्रेणी के नियोजन हेतु दैनिक दर			"ख" श्रेणी के नियोजन हेतु दैनिक दर		
		दिनांक-11.03.2024 से निर्धारित मूल मजदूरी	परिवर्तनीय मॉडर्नई भत्ता (दिनांक-01.10.2024 से देय)	कुल	दिनांक-11.03.2024 से निर्धारित मूल मजदूरी	परिवर्तनीय मॉडर्नई भत्ता (दिनांक-01.10.2024 से देय)	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अकुशल	12,168	504	12,672	11,598	480	12,078
2	अर्द्धकुशल	12,788	529	13,317	12,168	504	12,672
3	कुशल	16,822	696	17,518	16,016	683	16,700
4	अतिकुशल	19,398	803	20,201	18,488	765	19,253

for

"B" श्रेणी के क्षेत्र ("A" श्रेणी को छोड़कर अन्य सभी जिलों के नगरनिकाय क्षेत्र) हेतु दिनांक-01.10.2024 से निर्धारित न्यूनतम मजदूरी (V.D.A. सहित) इस प्रकार है:-

### दैनिक दरें

क्र. सं.	कोटि	"क" श्रेणी के नियोजन हेतु दैनिक दरें			"ख" श्रेणी के नियोजन हेतु दैनिक दरें		
		दिनांक-11.03.2024 से निर्धारित मूल मजदूरी	परिवर्तनीय सर्वेगाई मत्ता (दिनांक-01.10.2024 से देय)	कुल	दिनांक-11.03.2024 से निर्धारित मूल मजदूरी	परिवर्तनीय सर्वेगाई मत्ता (दिनांक-01.10.2024 से देय)	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अकुशल	446	18	464	425	18	443
2	अर्धकुशल	468	19	487	446	18	464
3	कुशल	617	28	643	586	24	612
4	अतिकुशल	712	29	741	676	28	706

### मासिक दरें

क्र. सं.	कोटि	"क" श्रेणी के नियोजन हेतु दैनिक दरें			"ख" श्रेणी के नियोजन हेतु दैनिक दरें		
		दिनांक-11.03.2024 से निर्धारित मूल मजदूरी	परिवर्तनीय सर्वेगाई मत्ता (दिनांक-01.10.2024 से देय)	कुल	दिनांक-11.03.2024 से निर्धारित मूल मजदूरी	परिवर्तनीय सर्वेगाई मत्ता (दिनांक-01.10.2024 से देय)	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अकुशल	11,596	480	12,076	11,050	457	11,507
2	अर्धकुशल	12,168	504	12,672	11,596	480	12,076
3	कुशल	16,042	664	16,706	15,288	633	15,921
4	अतिकुशल	18,512	768	19,278	17,828	730	18,358

रि.स.



"C" श्रेणी के क्षेत्र (राज्य के नगर निकाय क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्र) हेतु दिनांक-01.10.2024 से निर्धारित न्यूनतम मजदूरी (V.D.A सहित) इस प्रकार है:-

**दैनिक दरें**

क्र. सं.	कोटि	"क" श्रेणी के निर्माण हेतु दैनिक दरें			"ख" श्रेणी के निर्माण हेतु दैनिक दरें		
		दिनांक- 11.03.2024 से निर्धारित मूल मजदूरी	परिपूरणीय सर्वेगाई मर्रा (दिनांक- 01.10.2024 से देय)	कुल	दिनांक- 11.03.2024 से निर्धारित मूल मजदूरी	परिपूरणीय सर्वेगाई मर्रा (दिनांक- 01.10.2024 से देय)	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अकुशल	425	18	443	405	17	422
2	अर्द्धकुशल	446	18	464	425	18	443
3	कुशल	588	24	612	560	23	583
4	अतिकुशल	678	28	706	646	27	673

**मासिक दरें**

क्र. सं.	कोटि	"क" श्रेणी के निर्माण हेतु दैनिक दरें			"ख" श्रेणी के निर्माण हेतु दैनिक दरें		
		दिनांक- 11.03.2024 से निर्धारित मूल मजदूरी	परिपूरणीय सर्वेगाई मर्रा (दिनांक- 01.10.2024 से देय)	कुल	दिनांक- 11.03.2024 से निर्धारित मूल मजदूरी	परिपूरणीय सर्वेगाई मर्रा (दिनांक- 01.10.2024 से देय)	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अकुशल	11,050	457	11,507	10,530	438	10,968
2	अर्द्धकुशल	11,595	480	12,076	11,050	457	11,507
3	कुशल	15,288	633	15,921	14,560	603	15,163
4	अतिकुशल	17,628	730	18,358	16,785	695	17,480

*[Handwritten Signature]*

6. यह अधिसूचना दिनांक-01.10.2024 से प्रभावी होगी।

टिप्पणी :-

- (क) न्यूनतम मजदूरी की मूल दरों का पुनरीक्षण अखिल भारतीय उपमोक्षा मूल्य सूचकांक 388, जो जून, 2023 के सूचकांक व झारखण्ड न्यूनतम मजदूरी परामर्शदातृ पर्वद की बैठक में हुए सहमति/विमर्श पर आधारित है।
- (ख) जनवरी, 2024 से जून, 2024 तक का औसत उपमोक्षा मूल्य सूचकांक 402 के आधार पर परिवर्तनशील मईगाई भत्ता देय है।
- (ग) झारखण्ड न्यूनतम मजदूरी परामर्शदातृ पर्वद की सहमति के आलोक में परिवर्तनशील मईगाई भत्ता पूर्णांक (round off) में परिवर्तित कर दिया गया है।
- (घ) न्यूनतम मजदूरी की दरें न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा-4 की उप धारा-4(1) के खण्ड (III) के अन्तर्गत होंगी।
- (ङ) मासिक मजदूरी की दरों का दैनिक मजदूरी की दरों में तथा दैनिक मजदूरी की दरों का मासिक मजदूरी की दरों में रूपांतरण क्रमशः 26 से भाग दे कर और 26 से गुणा कर के किया जाएगा।
- (च) न्यूनतम मजदूरी की उपर्युक्त निर्धारित दरों में सात दिनों की अवधि में विश्राम के दिन के लिए कर्मचारियों को देय पारिश्रमिक शामिल है।
- (छ) साप्ताहिक विश्राम के दिन काम करने वाले कर्मचारी न्यूनतम मजदूरी नियमावली, 1951 के नियम-25 में विहित दर से समयोपरि काम का मुगत्तान पाने का हकदार होगा।
- (ज) पुरुष या स्त्री कामगार एक ही काम या उसी प्रकार के काम के लिए समान दर पर मजदूरी पायेंगे।



Annexure- 1

In the light of the consensus reached in the meeting of Jharkhand Minimum Wages Advisory Board on October 11, 2023, the classification of 90 notified schedule Employments (including 12 Piece rated schedule Employments) fixed for the minimum wage revision and the classification of areas of Jharkhand state is made as follows :-

**Classification of 90 Scheduled Employments (including Piece Rate Employment)**

SL No.	CATEGORY "अ" (Total 49 Employments)	SL No.	CATEGORY "ब" (Total 41 Employments)
1	2	3	4
1.	Employment in Shops selling cooked food stuff.	1.	Employment in Khand Sari Industry
2.	Employment in Petrol & Diesel Pumps	2.	Employment in Khadi & Village Industry
3.	Employment in shops or establishment or industries other than that covered under any of the other entries in this schedule	3.	Employment in Mica Works (Factories & Estd. excluding Mines)
4.	Employment in Hotels, Eating Houses & Restaurants.	4.	Employment in Handloom Industries
5.	Employment in Cinema Industry	5.	Employment in Co-operative sector.
6.	Employment in Mess, Canteen & Clubs	6.	Employment in Hosiery Manufacturing.
7.	Employment in sales promotion (Conditions of service) Act, 1976.	7.	Employment in Wood works & Furniture.
8.	Employment in Dam Construction & Irrigation.	8.	Employment in Any woolen carpet making and shawl weaving establishments
9.	Employment in Construction or Maintenance of Road or in building construction.	9.	Employment in Dairies and Poultry Farms.
10.	Employment in Private Hospitals Nursing Homes and Clinics	10.	Employment in Tailoring industry
11.	Employment in Any Universities, Educational Research or Cultural Institution.	11.	Employment in Electric & other type of Bulbs & Florence Tube manufacture Industry
12.	Employment in Private security agency.	12.	Employment in Book Binding Industry
13.	Employment in Private Technical Institution, Coaching Institute & Private Schools (Non-teaching).	13.	Employment in Daffi, Card Board, Mill Board, Corrugated Board, Gatta Board Manafactory.
14.	Employment in Computer Educational Institute etc.	14.	Employment in Plywood Industry



15.	Employment in Rice Mill, Flour Mills, Dal Mills & Oil Mills.	15.	Employment in Biscuits Industry
16.	Employment in Sponge Iron, Rod Manufacturing & Manufacturing of angle from Iron & Ingots.	16.	Employment in Printing Press.
17.	Employment in laying of Under Ground Cables, Electronic lines, Water supply lines & Sewerage Pipe Line.	17.	Employment in Potteries.
18.	Employment in Chartered/Cost Accounts, Auditors, Tax Consultancy and Architects.	18.	Employment in Bakeries & Confectioneries.
19.	Employment in Mobile Tower	19.	Employment in Laundry & Washing.
20.	Employment in Public Motor Transport	20.	Employment in Ice cream and cold drink.
21.	Employment in Aluminum Industry	21.	Employment in Private Ferries and L.T.C
22.	Employment in Chemical Pharmaceutical Industry	22.	Employment in Fisheries.
23.	Employment in Soap Making Industry	23.	Employment in Decoration of Pandal etc.
24.	Employment in Cement prestressed products Industry.	24.	Employment in Bus and Truck Driver/Conductor & Cleaners.
25.	Employment in Asbestos Cement Factory	25.	Employment in Motor garages & Workshops.
26.	Employment in Glass Sheet Building	26.	Employment in Religious & Social Industry.
27.	Employment in Gum Factory	27.	Employment in Agriculture.
28.	Employment in Paper Industry	28.	Employment in Sweeping & Cleaning.
29.	Employment in Refractories, Fire Bricks, Ceramic Industry.	29.	Employment in Sindur and colour manufacturing industries.
30.	Employment in Plastic Industry	30.	Employment in Plucking and Processing of kendo-leaves
31.	Employment in glass industries (excluding glass sheet)	31.	Employment in Loading and Unloading Operation.
32.	Employment in Foundry Industries	32.	Employment in Earth Cutting Operation
33.	Employment in Coal Briquette Industries	33.	Employment in Brick Manufacturing
34.	Employment in Mineral Grinding Industries	34.	Employment in Beedi Manufacturing.
35.	Employment in Grinding and Crushing of Mineral ore	35.	Employment in Power Loom Industry
36.	Employment in Hard coke ovens.	36.	Employment in Forestry and Timbering Operation
37.	Employment in Tanneries & Leather manufactory.	37.	Employment in Hair Cutting Saloon
38.	Employment in Leather goods Manufacturing.	38.	Employment in Silk Industry Manufactory from pure Silk, artificial silk and other staple yarn
39.	Robber and rubber compound industry (in	39.	Employment in Stone Breaking and Stone Crusher Operation

*Rec.*

	which manufacture of tyre & tube is also included).		
40.	Employment in Cement Hume Pipe, Electric Pole & Railway Sleeper manufacture Industry	40.	Employment in Tea Plantation
41.	Employment in Distilleries.	41.	Employment of Domestic Servant
42.	Employment in Electricity Generators and supply.		
43.	Employment in Auto Mobile Engineering.		
44.	Employment in Electronic Industries.		
45.	Employment in Minor Engineering Industry (excluding Auto Mobile Engineering Shops)		
46.	Employment in Motor Body Building		
47.	Employment in Manufacture of Gold/Silver Ornaments & Articles of Artistic Design.		
48.	Employment in Cold Storage.		
49.	Employments of workers engaged in Government Offices/Undertakings/Boards & Local Bodies in the state of Jharkhand.		

**Classification of districts/ areas of Jharkhand State.**

Sl.No.	Category	Covered Areas
1	2	3
1	A	Ranchi Municipal Corporation, Chas Municipal Corporation, Dhanbad Municipal Corporation, Deoghar Municipal Corporation, Hazaribagh Municipal Corporation and Jamshedpur Notified Area, Mango Municipal Corporation, Jugsalai Municipal Council and Adityapur Municipal Corporation Areas.
2	B	All Civic Body/ Municipal Areas and Notified Area except "A" category)
3	C	Other areas of the state.

*Rt.*

The Minimum Wage for "A" Category area (Ranchi Municipal Corporation, Chas Municipal Corporation, Dhanbad Municipal Corporation, Deoghar Municipal Corporation, Hazaribagh Municipal Corporation and Jamshedpur Notified Area, Mango Municipal Corporation, Jugsalai Municipal Council and Adityapur Municipal Corporation Areas) from dated 01.10.2024 is as follows:-

### Daily Rates

SL.No.	Category	Daily wages for 'B' Category' of Employment			Daily wages for 'C' Category' of Employment		
		Basic wages fixed as on 11.03.2024	Variable dearness allowance w.e.f. 01.10.2024	Total	Basic wages fixed as on 11.03.2024	Variable dearness allowance w.e.f. 01.10.2024	Total
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Unskilled	468	19	487	446	18	464
2	Semi Skilled	491	20	511	468	19	487
3	Skilled	647	27	674	616	26	642
4	Highly Skilled	746	31	777	711	29	740

### Monthly Rates

SL.No.	Category	Daily wages for 'B' Category' of Employment			Daily wages for 'C' Category' of Employment		
		Basic wages fixed as on 11.03.2024	Variable dearness allowance w.e.f. 01.10.2024	Total	Basic wages fixed as on 11.03.2024	Variable dearness allowance w.e.f. 01.10.2024	Total
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Unskilled	12,168	504	12,672	11,596	480	12,076
2	Semi Skilled	12,766	529	13,295	12,168	504	12,672
3	Skilled	16,822	696	17,518	16,016	663	16,679
4	Highly Skilled	19,396	803	20,199	18,466	765	19,251

*R.*

**11** Minimum Wage for "B" Category area (All Civic Body/ Municipal Areas and Notified Area except "A" category) from dated 01.10.2024 is as follows :-

**Daily Rates**

Sl.No.	Category	Daily wages for 'B' Category' of Employment			Daily wages for 'SF' Category' of Employment		
		Basic wages fixed as on 11.03.2024	Variable dearness allowance w.e.f. 01.10.2024	Total	Basic wages fixed as on 11.03.2024	Variable dearness allowance w.e.f. 01.10.2024	Total
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Unskilled	448	18	464	425	18	443
2	Semi Skilled	468	19	487	446	18	464
3	Skilled	617	26	643	588	24	612
4	Highly Skilled	712	29	741	678	28	706

**Monthly Rates**

Sl.No.	Category	Daily wages for 'B' Category' of Employment			Daily wages for 'SF' Category' of Employment		
		Basic wages fixed as on 11.03.2024	Variable dearness allowance w.e.f. 01.10.2024	Total	Basic wages fixed as on 11.03.2024	Variable dearness allowance w.e.f. 01.10.2024	Total
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Unskilled	11,596	480	12,076	11,050	457	11,507
2	Semi Skilled	12,168	504	12,672	11,596	480	12,076
3	Skilled	16,042	664	16,706	15,280	633	15,921
4	Highly Skilled	18,512	786	19,278	17,628	730	18,358

*Res.*

The Minimum Wage for "C" Category area (Areas other than municipal areas of the State) from dated 01.10.2024 is as follows

**Daily Rates**

Sl.No.	Category	Daily wages for 'B' Category' of Employment			Daily wages for 'C' Category' of Employment		
		Basic wages fixed as on 11.03.2024	Variable dearness allowance w.e.f. 01.10.2024	Total	Basic wages fixed as on 11.03.2024	Variable dearness allowance w.e.f. 01.10.2024	Total
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Unskilled	426	18	443	405	17	422
2	Semi Skilled	446	18	464	425	18	443
3	Skilled	588	24	612	560	23	583
4	Highly Skilled	678	28	706	648	27	673

**Monthly Rates**

Sl.No.	Category	Daily wages for 'B' Category' of Employment			Daily wages for 'C' Category' of Employment		
		Basic wages fixed as on 11.03.2024	Variable dearness allowance w.e.f. 01.10.2024	Total	Basic wages fixed as on 11.03.2024	Variable dearness allowance w.e.f. 01.10.2024	Total
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Unskilled	11,050	457	11,507	10,530	436	10,966
2	Semi Skilled	11,596	480	12,076	11,050	457	11,507
3	Skilled	15,288	633	15,921	14,560	603	15,163
4	Highly Skilled	17,828	730	18,358	16,796	695	17,491

RTE



6. This notification will be effective from 01.10.2024.

**NOTE:-**

- (a) The Basic rates of Minimum wages are based on the All India Consumer Price Index Number 386, which is Price Index of June, 2023
- (b) The average Consumer Price index from January, 2024 to June, 2024 is 402, on which variable dearness allowance is payable.
- (c) In the light of the consent of Jharkhand Minimum wage Advisory Board, the rate of variable dearness allowance has been rounded off.
- (d) The rates of Minimum Wages shall be within the meaning of clause (III) Of sub-section (1) of section-4 of the Minimum Wages Act, 1948.
- (e) Conversion of the monthly rates of wages into daily rates of wages and vice versa shall be worked out by dividing the monthly rates by 26 and multiplying the daily rates by 26.
- (f) The rates of Minimum Wages above include the remuneration payable to the employees in respect of the day of rest in every period of seven days.
- (g) An employee shall, for the work done on the weekly day of rest, be entitled to overtime payment of the rate prescribed in rule-25 of the Jharkhand Minimum Wages Rules-1951.
- (h) Men and Women workers shall get the same rates of wages for the work of a similar nature :

No-2/MW-2071/2010(Bhag-3), L & T-.....Ranchi, Dated .....

By order of the Governor of Jharkhand,

  
Under Secretary,

Labour Commissioner Office, Jharkhand.

आपांक-2/एम०डब्लू०-2071/2010(भाग-3) अ०नि० 1846 संघी. दिनांक: 14/10/24  
प्रतिलिपि- अधीक राजकीय मुद्रणालय, अेरन्डा, झारखण्ड, राधी को सूचनाथ एवं राजपत्र के आगामी असञ्चारण अंक में प्रकाशनाथ प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि वे इस नजट की 500 प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

Rsc.  
14/10/2024  
अवर सचिव,

अमायुक्त कार्यालय, झारखण्ड।

आपांक-2/एम०डब्लू०-2071/2010(भाग-3) अ०नि० 1846 संघी. दिनांक: 14/10/24  
प्रतिलिपि- मननीय मंत्री, अम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड, राधी के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के सचिव, अम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड को सूचनाथ प्रेषित।

Rsc.  
14/10/2024  
अवर सचिव,

अमायुक्त कार्यालय, झारखण्ड।

आपांक-2/एम०डब्लू०-2071/2010(भाग-3) अ०नि० 1846 संघी. दिनांक: 14/10/24  
प्रतिलिपि- अवर सचिव, अम मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली/उपनिदेशक, अम मंत्रालय (विज सेल), भारत सरकार, नई दिल्ली/मुख्य अमायुक्त (केन्द्रीय), अम शक्तिमयन, नईदिल्ली / क्षेत्रीय अमायुक्त (केन्द्रीय), बनबाद/ निदेशक, लेबर ब्यूरो, शिमला / चण्डीगढ / स्थानिक आयुक्त, झारखण्ड मवन नई दिल्ली/ सरकार के सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष/ सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, झारखण्ड/ सभी उपायुक्त, झारखण्ड/ सभी उप विकास आयुक्त, झारखण्ड/ सचिव, न्यूनतम मजदूरी परामर्शदातृ पर्वट (केन्द्रीय) अम शक्तिमयन, नई दिल्ली/ न्यूनतम मजदूरी परामर्शदातृ पर्वट के सभी सदस्य मण/प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य राज्य विकास विभाग, राधी/ निदेशक, सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग, झारखण्ड, राधी/ सभी विभागीय पदाधिकारियों (तकनीकी सहित) को सूचनाथ एवं आवश्यक कार्याथ हेतु प्रेषित।

Rsc.  
14/10/2024  
अवर सचिव,

अमायुक्त कार्यालय, झारखण्ड।